अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/109/2016-17

13 जनवरी, 2017

श्री अरूण शर्मा
निदेशक/सीपीआईओ,
राज्य सभा सचिवालय,
संसदीय सौध, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री योगेश कुमार शर्मा निवासी एफ सी-45 तीन मूर्ति पुलिस कम्पाउंड, नई दिल्ली-11 का 10.01.2017 का पत्र 13.01.2017 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रूपये के दो पो.आ. संख्या 38एफ 076632 व पो.आ. संख्या 38एफ 076633 संलग्न कर अपने 16.11.2016 को इस सचिवालय को प्रेषित आवेदन जोकि इस सचिवालय में 22.11.2016 को प्राप्त हुआ था तथा जिसे 30.11.2016 को श्रीयुत कल्याण अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय सौध, नई दिल्ली को अग्रसारित किया गया था (प्रति संलग्न), पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय-वस्तु राज्य सभा सचिवालय से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि:-

श्री योगेश कुमार शर्मा निवासी एफ सी-45 तीन मूर्ति पुलिस कम्पाउंड, नई दिल्ली-11 - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

O/C
Narain Singh

सेवा में,

श्रीमान पी.आई.ओ. महोदय
मा० उपराष्ट्रपति सचिवालय
नई दिल्ली – 11

Vice President's Secretariat
Dy. No. 558
Date 3/1/17
New Delhi

विषय : जन सूचना अधिनियम–2005 के तहत अपनी शिकायत की प्रगति रिपोर्ट / कार्यवाही रिपोर्ट लेने हेतु RTI आवेदन पत्र। (I.P.O. No. 38 F 076632, Dt. 09-01-17 Rs. 10/-)

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैंने दिनांक 16.11.2016 को अपनी एक लिखित शिकायत स्पीड पोस्ट द्वारा आपको भेजी थी (प्रति संलग्न है)। कृपया इस शिकायत के संदर्भ में आपके द्वारा जो कार्यवाही की गई या आपको इसका जो उत्तर मिला या इसे किसी और को भेजा गया। कृपया उन सभी प्रतियों की प्रमाणित प्रति मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि इस शिकायत पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कार्यवाही न करने के कारण बतायें। मैंने RTI शुल्क के लिए रू0 10/– का I.P.O. No. 38 F 076632, Dt. 09-01-17 व प्रमाणित प्रतियों के लिए रू0 10/– का I.P.O. No. 38 F 076633, Dt. 09-01-17 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिये हैं।

कृपया मुझे कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां देने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

प्रार्थी

Yogesh

(योगेश कुमार शर्मा)
R/o FC-45, तीन मूर्ति
पुलिस कम्पाऊंड, नई दिल्ली–11
S.M./24, राज्यसभा सचिवालय

दिनांक 10-01-17

संलग्न :–

1. शिकायत की प्रति।
2. स्पीड पोस्ट की रसीद।

सेवा में,

माननीय उपराष्ट्रपति सचिवालय
नई दिल्ली-11

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं 9 सालों से राज्य सभा में सैशनल मैसेजंर का काम करता हूँ इतने सालों में मेरी कोई भी शिकायत पर्सनल शाखा में नहीं आई है और मैंने अपनी डयूटी अच्छी तरह से की है। मैं तारीख 2.11.16 से 8.11.16 तक बीमार होने की वजह से छुट्‌टी पर था जिसकी सूचना मैंने टेलीफोन व फैक्स के द्वारा पर्सनल को भेज दी थी। मैं दिनांक 9.11.16 को सुबह अपनी Medical Fitness लेकर Duty Join करने के लिए पर्सनल ब्रांच में आया तो श्रीमान A.D. महोदय ने मुझे मौखिक आदेश दिया कि हम आपकी Medical Fitness नहीं लेंगे और तुम Duty Join नहीं करोगे क्योंकि हमने तुम्हारा नाम सैशनल मैसेजंर की लिस्ट से हटा दिया है। तुम अपना I.Card और Parking Lable जमा करवा दो। तुम्हे कल से आफिस नहीं आना है। मैंने जब इसका कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि राज्यसभा में एक R.T.I. आई है जिसको भेजने का शक तुम पर है। यहां के कई लोग तुम्हारा नाम लेकर तुम पर शक कर रहे हैं इसलिए तुम्हे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने जब इसका कोई सबूत मांगा तो उन्होंने कहा कि हमें कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है।

महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस R.T.I. से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन मेरे ऊपर R.T.I. भेजने का झूठा आरोप लगा कर, शक करके मुझे नौकरी से निकाल दिया है जबकि मैं हर तरह की जाँच पड़ताल के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरा I. Card व पार्किंग लेबल जमा करने का आदेश दिया गया है लेकिन इन कागजों को जमा कराने की Receiving पर्सनल शाखा नहीं दे रही है। मेरी Medical Fitness को पर्सनल ने नहीं लिया है और मुझे डयूटी भी ज्वांइन नहीं कराई है। मुझे 9.11.16 दिन की हाजिरी भी नहीं लगाने दी गई है। इन सब बातों का कोई लिखित कारण मुझे नहीं दिया गया है कि यह सारा काम मेरे विरूद्ध क्यों हो रहा है? अब मुझे आफिस में नहीं जाने दिया जा रहा है और मेरी Entry आफिस से बन्द करा दी गई है। इस अजीब स्थिति के कारण मैं और मेरा पूरा परिवार मानसिक तनाव व डिप्रैशन में हैं कि किन कारणों की वजह से यह सारा काम हुआ है। केवल मुझ पर शक करके और झूठे आरोप लगा कर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है जिसकी वजह आफिस में एक R.T.I. का आना है। अतः महोदय से प्रार्थना है कि इस मामले की अच्छी तरह जाँच पड़ताल की जाये और इसकी सच्चाई का पता लगाया जाये। कृपया इस समस्या का समाधान निकालने की कृपा करके मुझे वापिस डयूटी पर बुलाया जाये आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

प्रार्थी

Yogesh

(योगेश कुमार शर्मा)
R/o FC-45, तीन मूर्ति
पुलिस कम्पाऊंड, नई दिल्ली–11
S.M./24, राज्यसभा सचिवालय